



ठानांक: एफ4 (201)आवेदनी / नि.सं./ 2010/ 764

दिनांक- 25-01-2011

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार हारा जारी अद्यतन निजी गहाविद्यालय नीति के अन्वयन सत्र 2020-21 (एक सत्र) पर इन बनातक सत्र पर सूची संकाय व पिष्टव ने अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनियुक्त निम्नलिखित शास्त्रों में साध संकृत जारी है।

संघातक सत्राव	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध पिष्टविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व पिष्टव
की विप्रलाल विक्षण संगठन, सूरतपुर, लहसुन लालसोट, गिला दीरा।	मतल गहाविद्यालय, चैम्पन गांगपुर।	राजस्थान विप्रवेदप्रवालय गांगपुर।	सतातक सत्र पर - कला संकाय- हिन्दौ साड़ीय, अंग्रेजी साहिन्य, चूर्णील, द्वारिहास, राजनीति विज्ञान, अध्योग्यासन।

- संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रारंभ तथा छेत्र नियमानुसार मद वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 - संस्था सत्र 2021-22 में नियांरित अवधि में नियमानुसार तनापत्ति प्रमाण पत्र अनियुक्त छेत्र आवेदन करेगी।
 - संस्था द्वारा साधारण जावा राशि (एक और और) का प्रयोग 5 वर्ष में नवीनीकरण करवा जावा अनियाए होगा।
 - आपराकानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत-अधिकारी हारा गहाविद्यालय का नियोग दिया जा सकता है।
 - संस्था को सम्पर्क-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय की सेवा दिलाई द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनियाए रूप से करनी होगी।
 - संस्था संघीय पिष्टविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तात्पर्यात ही विद्यार्थी जो प्रवेश दिया जाए।
 - संस्था संकाय व पिष्टविद्यालय की आवान विप्रवेदप्रवालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय की सेवा दिलाई जा सकती कार्रवी तथा गहाविद्यालय लक्ष्यानुसार उद्योग संस्था जीवा ने ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 - संस्था गहाविद्यालय में अध्यापन कार्य द्वारा यूजीसी, अंग्रेजी अध्यापक एवं ग्राहकालयों तथा नियांरित नामांकणानुसार अधीकारियों स्थाप गी नियुक्ति के साथ-2 अन्य नियांरित शास्त्रों की पालना करेगी।
 - संस्था सरकार की महाविद्यालय द्वारा नीति 2020-21 तथा बाये में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 - संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं गहाविद्यालय की सूचनाएं नियांरित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
 - गानव विवाह विभाग भारत सरकार ने गैलपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर गहाविद्यालय को रजिस्टर कराकर DCF-II (Data Capture format-II) सरकार अपलोड करना जनाया होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण-पत्र गी हारे की आवश्यकानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करें।
- उपर्युक्त शास्त्रों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

कौलेज विद्या, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक घोषणावाही हेतु प्रेषित है -

- विशेष साहाय्यक, माठ ऊजा विद्या गैरी गोदान, राजस्थान, जयपुर।
- निजी लायिक, राजसन साधिय, उच्च विद्या विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी लायिक, आयुक्त, आयुक्तालय की सेवा दिलाई जावा, राजस्थान, जयपुर।
- विज्ञा कालेक्टर, दीरा।
- कूल साधिय, राजस्थान विप्रवेदप्रवालय, जयपुर।
- राज्यिक समन्वित गहाविद्यालय।
- संघीय राज्य, आयुक्तालय, कौलेज विद्या, राजस्थान, जयपुर।
- राजित प्रवालय।

संयुक्त-निदेशक (निःसू.)
कौलेज विद्या, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (118) आकाशि / अनु / 10 / 344

दिनांक 4/5/2010

आदेश

राज्य सरकार हारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी होत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपकी संस्था को उसके नाम के सम्मुख अंकित आवृत्ति संकाय/विषय हेतु तीन सत्रों (2010-11, 2011-12, 2012-13) के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवृत्ति विषय/ संकाय
1	118	श्री वैष्णव शिक्षण समिति, सूरतपुरा तहसील सोट, जिला दौसा	मत्स्य महाविद्यालय, तीरथल रोड, अयोध्या नगर, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अंतरिक्ष— हिन्दी साहित्य, जंगीजी साहित्य, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, , समाजशास्त्र, चित्रकला, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान वी.सी.ए.

- संस्था इन तीन सत्रों के पश्चात निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर सत्र 2013-14 में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित अवधि तक आवेदन करेगी, अन्यथा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
- संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय हारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय हारा तदनुसार तय संख्या रीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही नवीन विषयों व रनातकोत्तर रस्तर पर क्रमोन्नयन के लिए पात्र होगी।
- संस्था को तीन सत्रों की अवधि की समाप्ति तक मापदण्डानुसार भूमि क्रय कर उस पर महाविद्यालय भवन (विभाग हारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संस्था को यू.जी.सी. योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोसिल हारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दश: पालना करनी होगी।
- राज्य सरकार हारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा।

10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुख्खा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
12. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
13. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड

- (क) जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो ।
- (ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की रथायी नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।
- (ग) छात्र-छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।
- (घ) संस्था के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो ।
- (ङ) विभाग के निरीक्षण दल के द्वारा रथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई हो ।

आयुक्त
आयुक्त

कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी संचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी संचिव, प्रमुख शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी संचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, दौसा ।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
7. संचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड एडी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संबन्धित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)